

प्रेषक,

वी० हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2020

विषय:-कोविड-19 की रोग के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कतिपय जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा मास्क, सेनेटाइजर डिसइन्फेक्टेंट आदि उपलब्ध कराये जाने एवं आई०सी०एम०आर० के दिशा-निर्देशों के इतर अन्य व्यक्तियों की जांच कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 की बीमारी के संबंध में उपलब्ध लॉजिस्टिक्स मांग की तुलना में सीमित है, जिसे जरूरत मन्द व्यक्तियों को ही उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अतः यह सुनिश्चित करे कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर आई०सी०एम०आर० के दिशा-निर्देशों के इतर अन्य व्यक्तियों की जांच कराये जाने तथा अन्य लॉजिस्टिक्स हेतु अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

भवदीय,

(वी० हेकाली झिमोमी)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 685(1)/पांच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-21फ/सं०रो०/2020/2142 दिनांक 23.03.2020 के संदर्भ में।

2-निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(शशुभजय कुमार सिंह)

विशेष सचिव।